न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी —डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 12/2020 तारीख रजू 29.09.2020

1. निजामुददीन पुत्र श्री रहीम खां जाति मुसलमान निवासी बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. रईस अहमद पुत्र श्री रहीम खां जाति मुसलमान निवासी बौंली जिला सवाई माधोपुर

.........निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. मोहम्मद नियाज पुत्र अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी करारखानी मोहल्ला बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत बौंली, जिला सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित — वकील निगरानीकर्त्ता श्री आर.एस. वैष्णव एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री हिम्मत सिंह एडवोकेट

निर्णय दिनांक 04/10/22

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बौंली द्वारा पारित आदेश पटटा मिसल सं0 59 दायर दिनांक 20.10.10 निर्णय दिनांक 05.12.2011, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत बौंली के द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि ग्राम बौंली में स्थित करारखानी मोहल्ला में स्थित खाली भूखण्ड पूर्व 20 फीट 10 इंच, पश्चिम 32 फीट 4 इंच, उत्तर 34.2+40 = 74 फीट 2 इंच दक्षिण 75 फीट 3 इंच है, विवादित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं होते हुए भी विपक्षी संख्या 2 के समक्ष विपक्षी संख्या 1 ने असत्य तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें उक्त भूमि को पैतृक मकान बताया है, जबकि विवादित स्थल भूखण्ड प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। उसका मूल मालिक विपक्षी संख्या 1 नहीं होकर उसका वास्तविक स्वामी रियाजुददीन फकरूददीन पुत्र अब्दुल रजाक, हमीदी बेवा बशीर खां निवासी बौंली था, जिस पर विवादित भूखण्ड पर उनका कब्जा व स्वामित्व होने के कारण उक्त भूखण्ड को दिनांक 16.08.63 को गुलशेर पुत्र कालेखा, अब्दुल वहाव, अब्दुल हकीम, अब्दुल हमीद पुत्रान गुलसेर खां को विक्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया था तभी से उक्त भूखण्ड पर इनका कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है, उसके उपरान्त विपक्षी संख्या 1 ने उक्त विवादित भूमि की गलत मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत से तैयार दिनांक 07.07.11 को करायी है तथा उसके आधार पर विपक्षी संख्या 1 ने 50 वर्षों से उक्त भूमि पर गलत रूप से कब्जा बताते हुए ग्राम पंचायत से निर्णय पारित कराया है जबकि विपक्षी संख्या 1 की उक्त निर्णय पारित करते समय उम्र 18 वर्ष थी तथा उक्त विपक्षी संख्या 1 का 50 वर्षों से कब्जा होने का तथ्य गलत अंकित किया है, ना ही पैतृक होने का कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया था। इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर ग्राम पंचायत बौंली ने [illegible] 1 से मिलकर गलत निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। यह कि विक्रय पत्र दिनांक [illegible].08.63 के अनुसार संलग्न नक्शे 2 के अनुसार तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा [illegible] के अनुसार [illegible] के सहारे की गली की भूमि को मिलाते हुए बढ़ाकर गलत नक्शा पेश किया तथा विपक्षी [illegible] 1 ने ग्राम पंचायत संग मिलकर चुपचाप फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार करा ली तथा फर्जी आपत्ति नोटिस तैयार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कर्जी पत्रावली तैयार कर विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त निर्णय पारित कर उक्त विवादित भूमि का पटटा विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी किया है, जो निरस्तनीय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बौंली ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व विधिवत प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया, न ही विवादित स्थल का मौके पर निरीक्षण किया गया बल्कि चुपचाप गोपनीय तरीके से विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्याायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 05.12.2011 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस/लिखित बहस में तर्क दिया/अंकित किया कि ग्राम पंचायत बौंली के द्वारा पारित निर्णय राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157–148–146–156 के विरूद्ध होने से एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि फैसला फार्म में वर्णित मिसल नं0 59 निर्णय दिनांक 05.12.2011 ग्राम पंचायत बौंली द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पारित किया है, जो गलत है। यह मामला नियम 157 में आवृत नहीं है। निर्णय में अंकित स्थल पर विपक्षी नं0 1 मो0 नियाज का पैतृक खण्डर मकान एवं मकान खाम (पाटोल पोश/झोपडी) नहीं है। इसका मालिक रयाजुददीन, फकरूददीन पि0 अब्दुल रज्जाक शेख वगैरह थे, जिन्होंने इसका बेचान कर विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय बौंली में गुलशेर खां पुत्र काले खां, अब्दुल वहाब खां, अब्दुल हकीम खां, अब्दुल हमीद खां पि0 गुलशेर खां के नाम बुक नं. 1 लेख पत्र संख्या 18 पेज सं0 35,36,37 पर दिनांक 16.08.1963 को पंजीबद्ध करवाया है। इनमें से मात्र अब्दुल हमीद खां जीवित है इनके स्वामित्व की भूमि पर विपक्षी नं0 1 को नियमानुसार पटटा नहीं दिया जा सकता है। विपक्षी नं0 1 ने पैतृक खण्डर मकान होने का कोई दस्तावेज बतौर सबूत पेश नहीं किया है। विपक्षी नं0 1 का पिता अब्दुल वहीद जीवित है पिता के जीवित रहते निर्णय में वर्णित स्थल किसी भी तरह से विपक्षी नं0 1 का पैतृक नहीं माना जा सकता है। यह कि विपक्षी नं0 1 द्वारा पैतृक मकान का पटटा चाहने का आवेदन पत्र दिनांक 20.10.10 को प्रस्तुत किया तब विपक्षी नं0 1 की उम्र लगभग 19 वर्ष थी, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी नं0 1 का 50 वर्षों से कब्जा कैसे माना जा सकता है। विपक्षी ने 50 वर्ष पुराना कब्जा होने बाबत दो स्वतंत्र गवाहान के बयान भी ग्राम पंचायत बौंली में नहीं करवाये हैं। पत्रावली में दो स्वतंत्र गवाहान के पर्चे बयान भी सम्मिलित नहीं है। विपक्षी नं0 1 द्वारा पैतृक मकान का पटटा चाहने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.10.10 में तथा इसके साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये नक्शे में 50 वर्ष पुराने खण्डर मकान का उल्लेख भी नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत बौंली द्वारा गठित तीन वार्ड पंचों की समिति ने 07.07.2011 को मौका निरीक्षण कर जो मौका रिपोर्ट एवं मौका नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया है वह आधा–अधूरा एवं गलत है। विपक्षी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.10.10 में संलग्न तथा वार्ड पंचों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.07.2011 में संलग्न दोनों नक्शें में सननिर्मित घरों की संख्या दर्शित नहीं है। दोनों नक्शें में निर्माण का कोई विवरण नहीं है। दोनो नक्शों में कोई घरों के प्रतीक का उल्लेख नहीं किया है तथा विपक्षी नं0 1 ने संनिर्मित पुराने घरों बाबत कोई रिकार्ड/दस्तावेज भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। पुराने संनिर्मित घर बाबत एवं कब्जे बाबत दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कोई पुराना संनिर्मित गृह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अस्तित्व में नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत बौंली का फैसला दिनांक 05.1.2011 में अंकित विकास शुल्क 3760/— रूपये पटटा राशि 200/— रूपये दरवाजा शुल्क राशि 31/— रूपये आज तक भी ग्राम पंचायत में विपक्षी नं0 1 के द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। सम्पूर्ण पत्रावली में उक्त राशि जमा होने का कोई उल्लेख नहीं है तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी पत्रावली में शामिल नहीं है। यह कि विपक्षी आवण्टी को आवासीय भूमि का पटटा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर आज तक ग्राम पंचायत बौंली द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह कि गठित तीन वार्ड पंचों की समिति में पंच श्री अब्दुल लतीफ खां (विपक्षी नं0 1 की सगी बहन का ससुर है) को शामिल किया है जिनके द्वारा फर्जी एवं गलत मौका रिपोर्ट चुपचाप बनवाकर तथा फर्द मौका में विपक्षी नं0 1 का पैतृक खाम खण्डर मकान दर्शाकर विपक्षी नं0 1 को लाभ पहुंचाया है। यह कि विवादित स्थित विक्रय पत्र दिनांक 16.08.63 के अनुसार संलग्न नक्शें 2 के अनुसार तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ नक्शा के अनुसार भूखण्ड के सहारे की गली की भूमि को मिलाते हुए बढाकर गलत नक्शा पेश किया तथा विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत रोग मिलकर चुपचाप फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार करा ली तथा फर्जी आपत्ति नोटिस तैयार कर फर्जी पत्रावली तैयार कर विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त निर्णय पारित कर उक्त विवादित भूमि का पटटा विधिक प्रावधानों के विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है जो निरस्तनीय है। यह कि पटटे के लिए आवेदन पत्र में वर्णित भूमि मुताबिक विक्रय पत्र गुलशेर खां पुत्र काले खां, अब्दुल वहाब खां, अब्दुल हकीम खां, अब्दुल हमीद खां पि. गुलशेर खां की क्रय की गई सम्पत्ति है तथा वे ही उक्त सम्पत्ति के वास्तविक मालिक है। विपक्षी नं0 1 ने सम्पत्ति के वचास्तविक मालिक गुलशेर खां पुत्र काले खां, अब्दुल वहाब खां, अब्दुल हकीम खां, अब्दुल हमीद खां पि. गुलशेर खां चौबदार से उक्त सम्पत्ति क्रय नहीं की है। विपक्षी नं0 1 ने असत्य तथ्य अंकित कर अपना स्वामित्व का भूखण्ड बताया है तथा छल कपट पूर्वक ग्राम पंचायत बौंली को धोखे में रखकर फैसला करवाया है, जो अवैध है तथा विपक्षी नं0 2 ग्राम पंचायत बौंली से दिनांक 05.12.2011 को निर्णय अपने हक में गलत तरीके से, नियमों का उल्लंघन करके पारित करवा लिया है जिससे राजस्थान पंजीयन अधिनियम एवं राजस्थान स्टाम्प अधिनियम व राजस्थान पंजीयन व स्टाम्प नियमों के अन्तर्गत भी राजस्व की आय में हानि हुई है जो पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156(2) के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इस प्रकार वकील निगरानीकर्ता ने अंत में निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बौंली का निर्णय दिनांक 05.12.2011 निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

वकील गैर निगरानीकर्ता द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि उनके पक्षकार को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत तरीके का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ही पटटा जारी किया गया है जो कि पूर्णतयाः वैध है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि [illegible] संख्या 59 दिनांक 20.10.2010 में निर्णय दिनांक 05.12.2011 के द्वारा पटटा संख्या 9 [illegible] 06.2017 को जारी किया गया है जिसे उप पंजीयक बौंली द्वारा दिनांक 04.07.2017 को रजिस्टर्ड किया है। इस प्रकार उनके पक्षकार द्वारा पूर्णतः विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए रजिस्टर्ड पटटा प्राप्त किया है जो कि पूर्णतयाः वैध है। अंत में वकील गैर निगरानीकर्ता द्वारा तथ्यहीन एवं सारहीन प्रस्तुत की गई निगरानी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर चुपचाप गोपनीय तरीके से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी को ग्राम पंचायत बौंली द्वारा जारी आवासीय भूमि का पटटा संख्या 9 दिनांक 29.06.2017 जो कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2017 को उप पंजीयक बौंली के यहां रजिस्टर्ड कराया है। रजिस्टर्ड पटटा को खारिज करने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझता हूं।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बौंली के आदेश दिनांक 05.12.2011 के आधार पर जारी पट्टा कमांक 9 जारी दिनांक 29.06.2017 जो उप पंजीयक बौंली के यहां दिनांक 04.07.2017 को रजिस्टर्ड कराया है। रजिस्टर्ड पटटा को खारिज करने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नहीं होने के कारण निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04/10/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:18 IST
Reason: SelfAttested